न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
(पीठासीन न्यायाधीश – बलराम प्रसाद वर्मा)

विविध दांडिक प्रक०क्रमांक 82/2025

अभिषेक इंटरप्राईजेस
प्रोपाइटर गीतेश अग्रवाल, उम्र 40 वर्ष,
पता– 404 चौथा माला, समता शॉपिंग
आर्केट, समता कॉलोनी, रायपुर,
जिला रायपुर, छ.ग. । ------ **आवेदक**

– विरूद्ध –

1. जी.एल. एग्रो एण्ड फोरजींग इंडस्ट्रीज
   प्रोपाईटर पंकज अग्रवाल, उम्र 38 वर्ष,
   पिता स्व. राम प्रसाद अग्रवाल,
   पता– गोगांव, थाना– गुढियारी रायपुर,
   तह. व जिला रायपुर, छ.ग.।

2. छ.ग. शासन,
   द्वारा जिला दंडाधिकारी,
   रायपुर, छ.ग. । ------ **अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा श्री अब्दुल राकिब, अधिवक्ता ।
अनावेदक क्र. 1 द्वारा श्री अमित पटेल, अधिवक्ता ।
अनावेदक क्र. 2 द्वारा श्री जगदीश कुमार अग्रवाल, लोक अभियोजक ।

– आदेश –

(आज दिनांक 08.10.2025 को पारित किया गया)

1. इस आदेश द्वारा आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का निराकरण किया जा रहा है ।

2. आवेदक का आवेदन एवं तर्क संक्षेप में इस प्रकार है कि कु. नीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर के दांडिक परिवाद प्रकरण क्रमांक 4024/2018 जी.एल.एग्रो एण्ड फोरजिंग इंडस्ट्रीज विरूद्ध अभिषेक इंटरप्राईजेस में दिनांक 13.09.2024 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरूद्ध अपील आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो वर्तमान में श्रीमती पल्लवी तिवारी,

नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में दांडिक अपील क्रमांक 347/2024 के रूप में लंबित है । इसी तरह कु. नीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर के दांडिक परिवाद प्रकरण क्रमांक 4022/2018 जी.एल.एग्रो एण्ड फोरजिंग इंडस्ट्रीज विरूद्ध अभिषेक इंटरप्राईजेस में दिनांक 13.09.2024 को पारित दोषसिद्ध के निर्णय के विरूद्ध अपील आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो श्रीमती पल्लवी तिवारी, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में दांडिक अपील क्रमांक 348/2024 के रूप में लंबित था किंतु वर्तमान में उक्त प्रकरण स्थानांतरण होकर श्री बृजेश राय, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में लंबित है । उक्त दोनों प्रकरण एक ही विषय वस्तु से उद्भूत परिवाद प्रकरण से संबंधित है । उचित न्याय निर्णयन हेतु उक्त दोनों प्रकरणों का विचारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त दोनों प्रकरणों को किसी एक न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. अनावेदक द्वारा उक्त आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है ।

4. अब आवेदन के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि– **"क्या धारा 448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है?"**

// <u>सकारण निष्कर्ष</u> //

5. उक्त आवेदन के निराकरण हेतु श्रीमती पल्लवी तिवारी, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में लंबित दांडिक अपील क्रमांक 347/2024 अभिषेक इंटरप्राईजेस विरूद्ध जी.एल.एग्रो एण्ड फोरजिंग इंडस्ट्रीज तथा श्री बृजेश राय, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में लंबित दांडिक अपील क्रमांक 348/2024 अभिषेक इंटरप्राईजेस विरूद्ध जी.एल.एग्रो एण्ड फोरजिंग इंडस्ट्रीज के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. श्रीमती पल्लवी तिवारी, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में लंबित दांडिक अपील क्रमांक 347/2024 अभिषेक इंटरप्राईजेस विरूद्ध जी.एल.एग्रो एण्ड फोरजिंग इंडस्ट्रीज के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त अपील प्रकरण कु. नीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा दांडिक परिवाद प्रकरण क्रमांक 4024/2018 जी.एल.एग्रो एण्ड फोरजिंग इंडस्ट्रीज विरूद्ध अभिषेक इंटरप्राईजेस में दिनांक 13.09.2024 को पारित दोषसिद्धि के

निर्णय के विरूद्ध आवेदक/अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार श्री बृजेश राय, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में लंबित दांडिक अपील क्रमांक 348/2024 अभिषेक इंटरप्राईजेस विरूद्ध जी.एल.एग्रो एण्ड फोरजिंग इंडस्ट्रीज के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त अपील प्रकरण कु. नीति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर द्वारा दांडिक परिवाद प्रकरण क्रमांक 4022/2018 जी.एल.एग्रो एण्ड फोरजिंग इंडस्ट्रीज विरूद्ध अभिषेक इंटरप्राईजेस में दिनांक 13.09.2024 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय के विरूद्ध आवेदक/अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत की गई है।

7. उपरोक्त दोनों दांडिक अपील प्रकरणों का एक साथ अवलोकन करने पर दोनों अपीलों में पक्षकार एक समान है तथा वे एक ही प्रकार के व्यवसायिक ऋण संव्यवहार के संबंध में परिवादी/अनावेदक को अभियुक्त/आवेदक द्वारा प्रदान की गई भिन्न–भिन्न चेकों के अनादरण से संबंधित है । इस प्रकार उक्त दोनों दांडिक अपील प्रकरणों के दांडिक परिवाद प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित विषय व पक्षकारों में समानता दर्शित होती है, किन्तु उक्त दोनों दांडिक अपीलों का विचारण क्रमशः नवम् अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा किया जा रहा है। अतः पक्षकारों के सुविधा की दृष्टि से तथा प्रकरणों के उचित विचारण एवं न्याय निर्णयन हेतु उक्त दोनों दांडिक अपील प्रकरणों का विचारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित होगा।

8. अतः ऐसी स्थिति में आवेदन अंतर्गत धारा **448 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** स्वीकार करते हुये श्री बृजेश राय, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में लंबित दांडिक अपील क्रमांक 348/2024 अभिषेक इंटरप्राईजेस विरूद्ध जी.एल.एग्रो एण्ड फोरजिंग इंडस्ट्रीज को उक्त न्यायालय से प्रत्याहरित कर अग्रिम विचारण एवं विधिपूर्ण निराकरण हेतु श्रीमती पल्लवी तिवारी, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। इस आदेश की प्रतिलिपि के साथ उक्त दोनों न्यायालयों का अभिलेख सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

BALRAM PRASAD VERMA

Digitally signed by BALRAM PRASAD VERMA
Date: 2025.10.09 17:57:43 +0530

रायपुर,
दिनांक 08.10.2025

(बलराम प्रसाद वर्मा)
सत्र न्यायाधीश, रायपुर,
छ.ग.।